प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के अन्तर्गत दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न विभागों तथा स्वायत्त इकाईयों की निष्पादन लेखापरीक्षा, मुख्य नियंत्रक अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा, विषयक लेखापरीक्षा तथा लेन-देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का समावेश है ।

वित लेखों तथा विनियोजित लेखों की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रतिवेदन को पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है ।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उन मामलों में से है जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखों की जाँच लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, साथ ही वे मामले हैं जो पिछले वर्षों में सामने आए, परंतु इन्हें पिछले प्रतिवेदनों में नहीं दिया जा सका; 2011-12 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामलों का भी, जहाँ आवश्यक है, समावेश किया गया है ।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुपालन में संचालित की गई है।